



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062026-273123
CG-DL-E-03062026-273123

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 3, 2026/ज्येष्ठ 13, 1948

No. 391]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 3, 2026/JYAISTHA 13, 1948

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 433(अ).— राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 के नियम 8 के उप-नियम (6) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड और ग्रेड-I में प्रोन्नति) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "पात्र अधिकारी" से कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 के नियम 8 के अधीन, उस कैलेंडर वर्ष की, जिसमें चयन सूची तैयार की जाती है, 1 जुलाई को, यथास्थिति, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड तथा ग्रेड-I की सेवा की नियुक्ति के लिए विचार करने के लिए पात्र है;

- (ख) "चयन क्षेत्र" से पात्र अधिकारियों की वह सूची अभिप्रेत है, जिसमें से चयन सूची में शामिल करने के लिए चयन किया जाएगा;
- (ग) "सरकार" से रेल मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (घ) "नियम" से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 अभिप्रेत हैं;
- (ङ) "चयन समिति" से विनियम 4 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत हैं;
- (च) "चयन सूची" से अभिप्रेत, यथास्थिति, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड या ग्रेड-1, के संबंध में नियुक्ति के लिए उपयुक्त माने जाने वाले पात्र अधिकारियों की सूची से है और जो विनियम 6 से 9 के अनुसार तैयार की जाती है।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।

3. चयन सूची और चयन क्षेत्र की संख्या.- (1) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड या ग्रेड-1 के लिए चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की संख्या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

(2) चयन क्षेत्र सरकार द्वारा जारी विभागीय प्रोन्नति समिति के दिशानिर्देशों के अधीन विहित किया जाएगा।

4. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड और चयन ग्रेड के लिए चयन समिति का गठन.- (1) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड और चयन ग्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र अधिकारियों के मामलों पर विचार करने और उचित सिफारिशें करने के लिए चयन समिति की संरचना में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा नामित दो अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिकथित दिशानिर्देशों या अनुदेशों का पालन करेगी।

5. ग्रेड-1 के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन.- (1) एक विभागीय प्रोन्नति समिति होगी, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या, जहाँ अध्यक्ष उपस्थित होने में असमर्थ हों, आयोग का कोई अन्य सदस्य जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा और अन्य सदस्य निम्नानुसार होंगे:-

- | | | | |
|-----|--|---|----------|
| (क) | संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या एक सदस्य | - | अध्यक्ष; |
| (ख) | सचिव, रेलवे बोर्ड | - | सदस्य; |
| (ग) | एक कार्यकारी निदेशक या संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड | - | सदस्य. |

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिकथित दिशानिर्देशों या अनुदेशों का पालन करेगी।

6. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए चयन सूची तैयार करना- (1) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिए चयन सूची उस ग्रेड की संस्वीकृत संख्या के अनुसार प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई को प्रकाशित की जाएगी।

(2) चयन का क्षेत्र चयन समिति द्वारा उनकी वरिष्ठता के क्रम में पात्र वरिष्ठ चयन ग्रेड अधिकारियों की अपेक्षित संख्या को लेकर निर्धारित किया जाएगा।

- (3) चयन समिति, विहित मानकों के संदर्भ में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन किए जा रहे लोगों की योग्यता का निर्धारण करेगी और उसके अनुसार अधिकारियों को केवल 'योग्य' या 'अयोग्य' के रूप में ग्रेड देगी।
- (4) सरकार के आदेशों के अधीन, वर्गीकरण के संबंध में चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा।
- (5) चयन सूची केवल उन लोगों के नामों को सम्मिलित करके तैयार की जाएगी जिन्हें चयन समिति द्वारा 'योग्य' (अर्थात् जो विहित मानक को पूरा करते हैं) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और वरिष्ठ चयन ग्रेड में उनकी आपसी वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में व्यवस्थित किया जाएगा और वे अधिकारी जिन्हें चयन समिति द्वारा 'अयोग्य' (विहित मानक के संदर्भ में) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची रेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

7. वरिष्ठ चयन ग्रेड के लिए चयन सूची तैयार करना.- (1) वरिष्ठ चयन ग्रेड के लिए चयन सूची उस ग्रेड की संस्वीकृत संख्या के अनुसार प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई को प्रकाशित की जाएगी।

- (2) चयन का क्षेत्र चयन समिति द्वारा उनकी वरिष्ठता के क्रम में पात्र चयन ग्रेड अधिकारियों की अपेक्षित संख्या को लेकर निर्धारित किया जाएगा।
- (3) चयन समिति, विहित मानकों के संदर्भ में वरिष्ठ चयन ग्रेड में प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन किए जा रहे लोगों की योग्यता का निर्धारण करेगी और उसके अनुसार अधिकारियों को केवल 'योग्य' या 'अयोग्य' के रूप में ग्रेड देगी।
- (4) सरकार के आदेशों के अधीन, वर्गीकरण के संबंध में चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा।
- (5) चयन सूची केवल उन लोगों के नामों को सम्मिलित करके तैयार की जाएगी जिन्हें चयन समिति द्वारा 'योग्य' (अर्थात् जो विहित मानक को पूरा करते हैं) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और चयन ग्रेड में उनकी आपसी वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में व्यवस्थित किया जाएगा और वे अधिकारी जिन्हें चयन समिति ने 'अयोग्य' (विहित मानक के संदर्भ में) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची रेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

8. चयन ग्रेड के लिए चयन सूची तैयार करना.- (1) चयन ग्रेड के लिए चयन सूची उस ग्रेड की संस्वीकृत संख्या के अनुसार प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई को प्रकाशित की जाएगी।

- (2) चयन का क्षेत्र चयन समिति द्वारा उनकी वरिष्ठता के क्रम में पात्र ग्रेड-1 अधिकारियों की अपेक्षित संख्या को लेकर निर्धारित किया जाएगा।
- (3) चयन समिति, विहित मानकों के संदर्भ में चयन ग्रेड के लिए चयन सूची में समावेश करने के लिए मूल्यांकन किए जा रहे लोगों की योग्यता का निर्धारण करेगी और उसके अनुसार अधिकारियों को केवल 'योग्य' या 'अयोग्य' के रूप में ग्रेड देगी।
- (4) सरकार के आदेशों के अधीन, वर्गीकरण के संबंध में चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा।
- (5) चयन सूची केवल उन लोगों के नामों को सम्मिलित करके तैयार की जाएगी जिन्हें चयन समिति द्वारा 'योग्य' (अर्थात् जो विहित मानक को पूरा करते हैं) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और ग्रेड-1 में उनकी आपसी वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में व्यवस्थित किया गया है और वे अधिकारी जिन्हें चयन समिति द्वारा 'अयोग्य' (विहित मानक के संदर्भ में) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची रेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।

9. **ग्रेड-1 के लिए चयन सूची तैयार करना.-** (1) ग्रेड-1 के लिए चयन सूची उस ग्रेड की संस्वीकृत संख्या के अनुसार प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई को प्रकाशित की जाएगी।
- (2) सभी पात्र अनुभाग अधिकारियों के नाम रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित उस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किए जाएंगे।
- (3) चयन का क्षेत्र चयन समिति द्वारा उप-विनियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची से अपेक्षित संख्या में व्यक्तियों को उस सूची में सम्मिलित किए जाने के क्रम में लेकर निर्धारित किया जाएगा।
- (4) चयन समिति, विहित मानकों के संदर्भ में चयन सूची में समावेश करने के लिए मूल्यांकन किए जा रहे लोगों की योग्यता का निर्धारण करेगी और उसके अनुसार अधिकारियों को केवल 'योग्य' या 'अयोग्य' के रूप में ग्रेड देगी।
- (5) चयन समिति की सिफारिशों के साथ-साथ, संबंधित अधिकारियों की अद्यतन वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टें और ऐसी अन्य जानकारी जो सुसंगत हो, सलाह के लिए आयोग को भेजी जाएंगी।
- (6) सरकार के आदेशों के अधीन, संबंधित अधिकारी की उपयुक्तता और वर्गीकरण के संबंध में आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया जाएगा।
- (7) चयन सूची केवल उन अधिकारियों के नाम सम्मिलित करके तैयार की जाएगी जिन्हें चयन समिति ने 'योग्य' (जो विहित मानकों को पूरा करते हैं) के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उप-विनियम (2) के अधीन तैयार की गई सूची में उनकी आपसी वरिष्ठता के क्रम में चयन सूची में व्यवस्थित किया जाएगा और वे अधिकारी जिन्हें चयन समिति द्वारा 'अयोग्य' (विहित मानकों के अनुसार) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उन्हें चयन सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची रेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी।
10. **व्यावृत्ति.-** विनियम 6 से 9 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ चयन ग्रेड, चयन ग्रेड या ग्रेड-1 के लिए पहले से ही अनुमोदित, लेकिन नियुक्त नहीं किए गए अधिकारी, इन विनियमों के लागू होने से पहले, उस ग्रेड में नियुक्ति के लिए पात्र बने रहेंगे।

[फा. सं. ईआरबी-1/2012/11/2]

वी.एस. दहिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 433(E).— In pursuance of sub-rule (6) of rule 8 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, the President hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service (Promotion to Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, Selection Grade and Grade-I) Regulations, 2026.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
- (a) “Eligible Officer” means any officer who is eligible to be considered for appointment to Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, Selection Grade and Grade-I of the Service, as the case may be, under rule 8 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, as on 1st July of the calendar year in which the Select List is prepared;

- (b) “Field of Selection” means the list of eligible officers from which a selection shall be made for inclusion in the Select List;
- (c) “Government” means the Government of India in the Ministry of Railways;
- (d) “Rules” means the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026;
- (e) “Selection Committee” means the Committee constituted under regulation 4;
- (f) “Select List” means the list of eligible officers considered fit for appointment to the Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, the Selection Grade or the Grade-I, as the case may be, and prepared in accordance with regulations 6 to 9.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026 shall have the same meanings assigned to them in the rules.

3. Strength of Select List and field of selection.- (1) The strength of officers to be included in the Select List for the Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade, Selection Grade or the Grade-I shall be as determined from time to time by the Government.

(2) The field of selection shall be as prescribed under the Departmental Promotion Committee guidelines issued by the Government.

4. Constitution of the Selection Committees for Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade and Selection Grade.- (1) The composition of the Selection Committee to consider the cases of eligible officers for appointment to the post of Senior Administrative Grade, Senior Selection Grade and Selection Grade and to make suitable recommendations, shall comprise Chairman, Railway Board and Chief Executive Officer and two other Members of Railway Board as nominated by Chairman, Railway Board and Chief Executive Officer.

(2) The Departmental Promotion Committee shall follow the guidelines or instructions as laid down by the Central Government from time to time.

5. Constitution of Departmental Promotion Committee for Grade-I.- (1) There shall be a Departmental Promotion Committee consisting of the Chairman of the Union Public Service Commission or, where the Chairman is unable to attend, any other Member of the Commission representing it and other members as follows:-

- | | | | |
|-----|---|---|-----------|
| (a) | The Chairman or a Member of the Union Public Service Commission | - | Chairman; |
| (b) | Secretary, Railway Board | - | Member; |
| (c) | One Executive Director or Joint Secretary, Railway Board | - | Member. |

(2) The Departmental Promotion Committee shall follow the guidelines or instructions as laid down by the Central Government from time to time.

6. Preparation of Select List for Senior Administrative Grade.- (1) Select List for the Senior Administrative Grade shall be published every year on the first of July of the year in accordance with the sanctioned strength of that grade.

- (2) The field of selection shall be determined by the Selection Committee by taking the required number of eligible Senior Selection Grade Officers in the order of their seniority.
- (3) The Selection Committee shall determine the merit of those being assessed for promotion to the Senior Administrative Grade with reference to the prescribed bench-mark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit' only.
- (4) Subject to the orders of the Government, the recommendations of the Selection Committee as regards classification shall be accepted.
- (5) The Select List shall be prepared by including the names of only those who are graded as 'fit' (that is who meet the prescribed bench-mark) by the Selection Committee and arranged in the Select List in the order of their inter-se seniority in the Senior Selection Grade and those officers who are graded 'unfit' (in terms of the prescribed bench-mark) by the Selection Committee shall not be included in the Select List and the Select List so prepared shall be issued by the Ministry of Railways.

- 7. Preparation of Select List for Senior Selection Grade.-** (1) Select List for the Senior Selection Grade shall be published every year on the first of July of the year in accordance with the sanctioned strength of that grade.
- (2) The field of selection shall be determined by the Selection Committee by taking the required number of eligible Selection Grade Officers in the order of their seniority.
 - (3) The Selection Committee shall determine the merit of those being assessed for promotion to the Senior Selection Grade with reference to the prescribed bench-mark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit' only.
 - (4) Subject to the orders of the Government, the recommendations of the Selection Committee as regards classification shall be accepted.
 - (5) The Select List shall be prepared by including the names of only those who are graded as 'fit' (that is who meet the prescribed bench-mark) by the Selection Committee and arranged in the Select List in the order of their inter-se seniority in the Selection Grade and those officers who are graded 'unfit' (in terms of the prescribed bench-mark) by the Selection Committee shall not be included in the Select List and the Select List so prepared shall be issued by the Ministry of Railways.
- 8. Preparation of Select List for Selection Grade.-** (1) Select List for the Selection Grade shall be published every year on the first day of July of the year in accordance with the sanctioned strength of that grade.
- (2) The field of selection shall be determined by the Selection Committee by taking the required number of eligible Grade-I Officers in the order of their seniority.
 - (3) The Selection Committee shall determine the merit of those being assessed for inclusion in the Select List for the Selection Grade with reference to the prescribed bench-mark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit' only.
 - (4) Subject to the orders of the Government, the recommendations of the Selection Committee as regards classification shall be accepted.
 - (5) The Select List shall be prepared by including the names of only those officers who are graded as 'fit' (that is who meet the prescribed bench-mark) by the Selection Committee and arranged in the Select List in the order of their inter-se seniority in the Grade-I and those officers who are graded 'unfit' (in terms of the prescribed bench-mark) by the Selection Committee shall not be included in the Select List and the Select List so prepared shall be issued by the Ministry of Railways.
- 9. Preparation of Select List for Grade-I.-** (1) Select List for the Grade-I shall be published every year on the first of July of the year in accordance with the sanctioned strength of that grade.
- (2) The names of all eligible Section Officers shall be arranged in accordance with the order of their seniority in that Grade fixed by the Ministry of Railways.
 - (3) The field of selection shall be determined by the Selection Committee by taking the required number of persons from the list drawn up under sub-regulation (2), in the order of their inclusion in that list.
 - (4) The Selection Committee shall determine the merit of those being assessed for inclusion in the Select List with reference to the prescribed bench-mark and accordingly grade the officers as 'fit' or 'unfit' only.
 - (5) The recommendations of the Selection Committee, together with the upto date Annual Performance Assessment Reports of the concerned officers and such other information as may be relevant, shall be forwarded to the Commission for the advice.
 - (6) Subject to the orders of Government, the recommendations of the Commission as regards suitability and classification of the concerned officer shall be accepted.
 - (7) The Select List shall be prepared by including the names of only those officers who are graded as 'fit' (that is who meet the prescribed bench-mark) by the Selection Committee and arranged in the Select List in the order of their inter-se seniority in the list prepared under sub-regulation (2) and those officers who are graded 'unfit' (in terms of the prescribed bench-mark) by the Selection Committee shall not be included in the Select List and the Select List so prepared shall be issued by the Ministry of Railways.
- 10. Savings.-** Notwithstanding anything contained in regulations 6 to 9, officers already approved for but not appointed to the Senior Administrative Grade, the Senior Selection grade, the Selection Grade or the Grade-I, as the case may be, before the coming into force of these regulations, shall continue to be eligible for appointment to that grade.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 434(अ).— राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 के नियम 9 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-** (1) इन विनयमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) विनियम 2026 है।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **परिभाषाएं.-** (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) “निर्णायक तारीख” से उस वर्ष की 1 जुलाई अभिप्रेत है, जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की जाती है;
 - (ख) “परीक्षा” से अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में नाम जोड़ने के लिए आयोग द्वारा आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है;
 - (ग) “चयन” से अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में समावेश करना अभिप्रेत है;
 (2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।
3. **परीक्षा का आयोजन.-** (1) परीक्षा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित रीति से आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी।
 - (2) परीक्षा जिन तारीखों और स्थानों पर आयोजित की जाएगी, उन्हें आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
4. **पात्रता की शर्तें.-** रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड का कोई भी अधिकारी, या रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सहायक ग्रेड (आशुलिपिक ग्रेड ‘सी’) का कोई भी अधिकारी, जिसके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता हो, और जो निर्णायक तारीख पर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, वह परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्र होगा:-
 - (क) उसने कम से कम पाँच वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो, और साथ ही उसने रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सहायक ग्रेड में, कम से कम चार वार्षिक कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट अर्जित कर ली हों;
 - (ख) वह ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा, जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।
5. **पात्रता संबंधी निर्णय.-** परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा, और जिस अभ्यर्थी को आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
6. **परिणाम.-** (1) जिन अभ्यर्थियों को आयोग किसी परीक्षा के परिणामों के आधार पर चयन के लिए उपयुक्त मानता है, उनके नामों को योग्यता क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा, और उन्हें अपेक्षित संख्या तक, उसी क्रम में चयन के लिए अनुशंसित किया जाएगा।
 - (2) किसी भी परीक्षा के परिणामों के आधार पर चयन, आवश्यकतानुसार आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम के अनुसार, आरक्षण नीति के अधीन और इस संबंध में समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) व्यक्तिगत अभ्यर्थियों को परीक्षा के परिणामों की सूचना किस रूप और रीति से दी जाएगी, यह आयोग अपने विवेक से तय करेगा।

7. **चयन.**— परीक्षा में सफलता चयन का कोई अधिकार नहीं देती है, जब तक कि केन्द्रीय सरकार, ऐसी जांच के बाद जिसे आवश्यक समझा जाए, इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी, सेवाकाल में उसके आचरण को ध्यान में रखते हुए, सभी मामलों में चयन के लिए उपयुक्त है:

परंतु यह है कि क्या चयन के लिए अनुशंसित कोई विशिष्ट अभ्यर्थी उपयुक्त नहीं है, इस बारे में निर्णय रेल मंत्रालय द्वारा आयोग के परामर्श से लिया जाएगा।

8. **कदाचार के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई.**— ऐसा अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा निम्नलिखित को दोषी घोषित किया गया हो या किया जाए:-

- (i) किसी भी प्रकार से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन हासिल करना; या
- (ii) प्रतिरूपण करना; या
- (iii) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना; या
- (iv) जाली दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करना जिसमें तथ्य के साथ छेड़छाड़ की गई हो; या
- (v) गलत या झूठे बयान देना, या महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना; या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना; या
- (vii) परीक्षा भवन में गलत साधनों को अपनाना; या
- (viii) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना; या
- (ix) उपर्युक्त खंडों में विनिर्दिष्ट सभी या किसी भी कार्य को करने का प्रयास करना, या, जैसा भी मामला हो, ऐसे कार्यों को करने में सहायता करना;

आपराधिक अभियोजन के लिए स्वयं को उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, वह उत्तरदायी होगा —

- (क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से निरर्हित कर दिया जाए जिसका वह अभ्यर्थी है; या
- (ख) स्थायी रूप से, अथवा किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, विवर्जित किया जाना:-
 - (i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से; और
 - (ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी रोजगार से,
- (ग) उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई:

परंतु इस विनियमन के अधीन कोई भी शास्ति निम्नलिखित के अतिरिक्त अधिरोपित नहीं की जाएगी-

- (i) अभ्यर्थी को लिखित रूप में ऐसा अभ्यावेदन करने का उचित अवसर देना जैसा वह उस संबंध में करना चाहे, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा उसे दी गई अवधि के भीतर, यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो उस पर विचार करना।

[फा. सं. ईआरबी-1/2012/11/2]

वी.एस. दहिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 434(E).— In pursuance of sub-rule (2) of rule 9 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, the President hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "crucial date" means the 1st day of July of the year in which the examination is held;

(b) "examination" means a limited departmental competitive examination held by the Commission for making additions to the Select List for the Section Officers' Grade;

(c) "Selection" means inclusion in the Select List for the Section Officers' Grade;

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, shall have the same meanings as assigned to them in the rules.

3. Holding of examination.- (1) The examination shall be conducted by the Commission in the manner notified by the Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions from time to time.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the Commission.

4. Conditions of eligibility.- Any officer of the Assistant Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service, or of Personal Assistants' Grade (Stenographer Grade 'C') of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service possessing a Bachelor's Degree from a recognised University or equivalent, who, on the crucial date, satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination:-

(a) he shall have rendered not less than five years' approved service and shall also have earned at least four Annual Performance Appraisal Reports in the Assistant Section Officers' Grade of the Railway Board Secretariat Service or Personal Assistants' Grade of Railway Board Secretariat Stenographers' Service;

(b) he shall pay such fees as may be specified from time to time, by the Commission:

5. Decision as to eligibility.- The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

6. Results.- (1) The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for selection on the results of any examination shall be arranged in the order of merit and they shall be recommended for selection in that order upto the required number.

(2) Selection on the basis of results of any examination shall be made to the extent required, in the order of merit of the candidates recommended by the Commission for selection, subject to reservation policy and in accordance with orders issued by the Central Government in this behalf from time to time.

(3) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion.

7. Selection.- Success in the examination confers no right to selection unless the Central Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection:

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Commission is not suitable shall be taken by the Ministry of Railways in consultation with the Commission.

8. Disciplinary action for misconduct.- A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of:-

(i) obtaining support for his candidature by any means; or

(ii) impersonating; or

(iii) procuring impersonation by any person; or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or

- (v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or
- (vii) using unfair means in the examination hall; or
- (viii) misbehaving in the examination hall; or
- (ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

shall, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable –

- (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or
- (b) to be debarred either permanently or for a specified period-
 - (i) by the Commission, from any examination or selection held by them; and
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
- (c) to disciplinary action under the appropriate rules:

Provided that no penalty under this regulation shall be imposed except after-

- (i) giving the candidate a reasonable opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf, and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate, within the period allowed to him, into consideration.

[F. No. ERB-I/2012/11/2]

V.S. DAHIYA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 435(अ).— राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 के नियम 9 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची तैयार करना) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "केन्द्रीय सरकार" से रेल मंत्रालय, भारत सरकार अभिप्रेत है;
- (ख) "नियम" से रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 अभिप्रेत हैं;
- (ग) "पात्र अधिकारी" से ऐसे अधिकारी से अभिप्रेत है, जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 के नियम 9 के अधीन, यथास्थिति उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को अनुभाग अधिकारियों की ग्रेड में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र हो, जिसके लिए चयन सूची तैयार की जाती है;
- (घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से विनियम 5 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;
- (ङ) "परीक्षा" से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है;
- (च) "विचार जोन" से पात्र अधिकारियों की वह सूची अभिप्रेत है, जिसमें से चयन सूची में अधिकारियों का समावेश किया जाएगा।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।

3. चयन सूची की संख्या और विचार जोन.- (1) किसी वर्ष के लिए चयन सूची में सम्मिलित किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या, रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी और ऐसा करते समय, उस वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार मौजूदा नियमित रिक्तियों सहित अग्रेषित की गई रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए और अगले वर्ष की तीस जून तक संभावित नियमित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी।

(2) विचार जोन विभागीय प्रोन्नति समिति के दिशानिर्देशों के अधीन निर्दिष्ट और रेल मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4. चयन सूची तैयार करना.- (1) चयन सूची की संख्या के अनुसार, अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी।

(2) उस वर्ष के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने वाले व्यक्तियों का चयन रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणियों में से प्रत्येक को क्रमावर्ती से प्रत्येक को लेकर किया जाएगा और उस वर्ष के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार उपलब्ध होगा:-

- (i) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के पात्र अधिकारी, जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी की हो और विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर उनके वरिष्ठता क्रम के अनुसार, जो अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकृत करने के अध्यक्षीन विचार जोन में हों;
- (ii) व्यक्तियों का चयन उनके योग्यता क्रम में, जोकि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय-समय पर आयोजित नियम 9 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट परीक्षा के परिणामों के आधार पर किया गया हो:

परंतु कि उपर्युक्त प्रत्येक ग्रेड से व्यक्तियों का क्रमावर्ती केवल किसी भी उल्लिखित ग्रेड के उपलब्ध व्यक्तियों की सीमा तक ही लिया जाएगा और अन्य ग्रेड के व्यक्तियों को, इसके बाद शामिल किया जाएगा।

5. विभागीय प्रोन्नति समिति.- (1) विचार क्षेत्र में आने वाले पात्र अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करने और अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल किए जाने की उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्नलिखित होगी:-

- | | | |
|-----|--------------------------------------|------------|
| (क) | संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी | : अध्यक्ष; |
| (ख) | दो निदेशक या उप सचिव स्तर के अधिकारी | : सदस्य। |

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति, समय-समय पर रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों या अनुदेशों का पालन करेगी।

6. वरिष्ठता.- (1) विनियम 4 के अधीन चयन सूची में शामिल पात्र अधिकारियों की आपसी वरीयता उसी क्रम में होगी, जिस क्रम में उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया है।

(2) यदि यथास्थिति, वरिष्ठता या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ग्रेड में नियुक्त व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तो वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से, उपर्युक्त प्रत्येक ग्रेड के लिए रिक्तियों के कोटे का क्रमावर्ती केवल उस सीमा तक किया जाएगा, जिस सीमा तक किसी भी ग्रेड से व्यक्ति उपलब्ध हैं और अन्य ग्रेड के व्यक्तियों को अंतिम स्थान के नीचे रखा जाएगा।

7. चयन सूची से नामों को हटाना.- निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के नाम, रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा चयन सूची से हटा दिए जाएंगे:

- (क) संबंधित ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति;
- (ख) किसी अन्य सेवा या पद पर स्थानांतरित व्यक्ति; और
- (ग) वे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं या जिनकी सेवाएं अन्यथा समाप्त कर दी जाती हैं।

[फा. सं. ईआरबी-1/2012/11/2]

वी.एस. दहिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 435(E).— In pursuance of sub-rule (3) of rule 9 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, the President hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service (Preparation of Select List for the Section Officers' Grade) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Central Government" means the Government of India in the Ministry of Railways;

(b) "Rules" means the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026;

(c) "Eligible Officer" means any officer who is eligible to be considered for appointment to Section Officers' Grade under rule 9 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, as on the first of July of the year for which the Select List is prepared;

(d) "Departmental Promotion Committee" means the Committee constituted under regulation 5;

(e) "Examination" means Limited Departmental Competitive Examination;

(f) "Zone of Consideration" means the list of eligible officers from which inclusions will be made in the Select List.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in Railway Board Secretariat Service Rules, 2026 shall have the same meanings as assigned to them in the Rules.

3. Strength of Select List and zone of consideration.- (1) The strength of officers to be included in the Select List for a year shall be determined by the Central Government in the Ministry of Railways, from time to time and, keeping in view the existing regular vacancies, including carried forward, as on the first of July of the year and anticipated regular vacancies upto the thirtieth June of the following year.

(2) The zone of consideration shall be as specified under the Departmental Promotion Committee guidelines and approved by the Central Government in the Ministry of Railways.

4. Preparation of the Select List.- (1) Select List for the Section Officers' Grade shall be published every year as on the first of July of the year in accordance with the strength of Select List.

(2) Inclusions in the Select List for the year shall be made by the Central Government in the Ministry of Railways by taking one person each by rotation from out of the categories of persons specified below and become available against the strength determined for that year:-

(i) eligible Officers of the Assistant Section Officers' Grade who have rendered not less than eight years' approved service in that Grade and are in the zone of consideration, in the order of their seniority, subject to the rejection of the unfit, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee;

(ii) persons selected on the basis of results of Examination referred to in sub-rule (1) of Rule 9, held by the Union Public Service Commission, from time to time, in the order of their merit:

Provided that the rotation of persons from each of the aforesaid category shall be taken only to the extent of the available persons from any of the stated category and persons from the other category shall, thereafter, be included enbloc.

5. Departmental Promotion Committee.- (1) The composition of Departmental Promotion Committee for assessing the suitability of eligible officers in the zone of consideration and making suitable recommendations of inclusions in the Select List of the Section Officers' Grade, shall be as follows:-

(a) Joint Secretary level officer : Chairperson;

(b) Two Directors or Deputy Secretary level officers : Members.

(2) The Departmental Promotion Committee shall follow the guidelines or instructions as laid down by the Central Government in the Ministry of Railways, from time to time.

6. Seniority.- (1) Eligible officers included in the Select List under regulation 4 shall rank inter-se in the order in which they are included in the Select List.

(2) If adequate number of persons appointed to the Grade on the basis of seniority or Limited Departmental Competitive Examination, as the case may be, are not available in the Grade, rotation of quotas of vacancies for each of the aforesaid category for the purpose of determining seniority shall be taken only to the extent of the available persons from any of the category and the persons from the other category shall be placed enbloc below the last slot.

7. Removal of names from Select List.- The names of the persons of the following categories shall be removed by the Central Government in the Ministry of Railways from the Select List:

- persons appointed to the concerned Grade;
- persons transferred to another service or post; and
- persons who die or retire from service or whose services are otherwise terminated.

[F. No. ERB-I/2012/11/2]

V.S. DAHIYA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 436(अ).— राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 के नियम 10 के उप-नियम (5) और नियम 15 के उप-नियम (2) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा (सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए वरिष्ठता कोटा पैनल, चयन सूची और वरिष्ठता सूची तैयार करना) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "पात्र अधिकारी" से ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं, जो रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 के नियम 10 के अधीन, उस वर्ष की 1 जुलाई के अनुसार सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्ति के लिए पात्र हो, जिसके लिए वरिष्ठता कोटा पैनल तैयार किया जाता है;

(ख) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से विनियम 3 के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है;

(ग) "विचार जोन से" पात्र अधिकारियों की वह सूची अभिप्रेत है, जिसमें से वरिष्ठता कोटा पैनल में समावेश किया जाएगा;

(घ) "वरिष्ठता सूची" से किसी भी वर्ष की 1 जुलाई को सहायक अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्यरत अधिकारियों की वह सूची अभिप्रेत है, जिसे इन विनियमों के अनुसार संशोधित किया गया हो।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।

3. विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन और वरिष्ठता कोटा पैनल तैयार करना.- (1) वरिष्ठता कोटे के अधीन सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र अधिकारियों की उपयुक्तता का आकलन करने तथा उपयुक्त अनुशंसाएँ करने के लिए गठित की जाने वाली विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:-

- निदेशक या उप सचिव - अध्यक्ष;
- दो अवर सचिव या उप निदेशक - सदस्य.

- (2) विभागीय प्रोन्नति समिति, समय-समय पर रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों या अनुदेशों का पालन करेगी।
- (3) एक वर्ष के लिए पैनल में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या, रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी और यह निर्धारण, उस वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार विद्यमान नियमित रिक्तियों जिनमें अग्रेषित की गई रिक्तियां भी शामिल हैं और अगले वर्ष की 30 जून तक संभावित नियमित रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- (4) विचार जोन वही होगा जो विभागीय प्रोन्नति समिति के दिशानिर्देशों के अधीन निर्दिष्ट है और जिसे रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- (5) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए वरिष्ठता कोटा पैनल, पैनल की संख्या के अनुसार, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा।
- (6) इस वर्ष के लिए पैनल में उन वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड के पात्र अधिकारियों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम दस वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी की हो और जो विचार-जोन में आते हों, इन्हें उस ग्रेड में उनकी वरिष्ठता के क्रम में शामिल किया जाएगा, अयोग्य अधिकारियों को अस्वीकृत करने के अध्यक्षीन, यह चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर किया जाएगा।

परंतु रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर 'वरिष्ठ सचिवालय सहायक' का पद धारण करने वाले अधिकारियों के लिए पात्रता सेवा पाँच वर्ष की अनुमोदित सेवा ही बनी रहेगी।

परंतु यह और कि जहाँ दस वर्ष की अनुमोदित सेवा वाले पर्याप्त संख्या में पात्र वरिष्ठ सचिवालय सहायक उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ बहुकार्य कर्मचारीवृंद ग्रेड से लेकर वरिष्ठ सचिवालय सहायक ग्रेड तक (जिसमें वरिष्ठ सचिवालय सहायक के रूप में न्यूनतम पाँच वर्ष की अनुमोदित सेवा शामिल है) इक्कीस वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर चुके अधिकारी भी सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में शामिल होने के लिए पात्र होंगे।

इसके अतिरिक्त, यह भी उपबंध है कि रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के संवर्ग पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, भर्ती वर्ष 2004 और भर्ती वर्ष 2011 के लिए सहायक अनुभाग अधिकारी के जो पद रिक्त हुए हैं, उन्हें वरिष्ठता के आधार पर 'वरिष्ठ सचिवालय सहायक' से भरा हुआ माना जाएगा।

4. सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्ति.- (1) सहायक अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता कोटे की रिक्तियों पर नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी क्रम में की जाएगी, जिस क्रम में अधिकारियों के नाम पैनल में आते हैं।

(2) पैनल में शामिल होने से किसी को भी उस ग्रेड में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि नियुक्तियाँ केवल नियमित रिक्तियों की उपलब्धता पर ही की जाएँगी।

5. पैनल से नामों को हटाना.- निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों के नाम पैनल से हटा दिए जाएँगे:

(क) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति;

(ख) अन्य सेवा या पद पर स्थानांतरित व्यक्ति;

(ग) ऐसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो जाती है या जो सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं या जिनकी सेवाएँ किसी और तरह से समाप्त कर दी जाती हैं; और

(घ) (i) नियम 12 में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा अवधि के बाद ग्रेड में काम करने वाले व्यक्ति, जिन्हें विभागीय जांच या रेल सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1968 के अधीन कार्यवाही के परिणामस्वरूप वहां से वापस कर दिया गया हो; या

- (ii) ऐसे व्यक्ति जिन्हें नियम 12 में विहित ग्रेड में परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अंत में, नियम 14 के उप-नियम (4) के अधीन, ग्रेड में बने रहने के लिए अयोग्य होने के आधार पर वापस कर दिया जाता है; या
- (iii) वे व्यक्ति जिन्हें अभी तक ग्रेड में नियुक्त नहीं किया गया है, और जिन्हें पैनल की वार्षिक समीक्षा के दौरान, पैनल में शामिल किए जाने के बाद से उनके अभिलेख या आचरण में आई गिरावट के कारण, अपेक्षित मानक से नीचे पाए जाते हैं।

6. चयन सूची तैयार करना.- यथास्थिति, चयन सूची या अनंतिम चयन सूची, भर्ती वर्ष के अंत में तैयार की जाएगी, जिसमें वरिष्ठता कोटा पैनल और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा पैनल में शामिल अधिकारियों के नाम, उस चयन सूची वर्ष के लिए संबंधित पैनल में जिस क्रम में वे आते हैं, उसी क्रम में 3:2 के अनुपात में शामिल किए जाएंगे।

परंतु उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों का क्रमावर्ती केवल उस सीमा तक किया जाएगा, जिस सीमा तक उस ग्रेड में व्यक्ति उपलब्ध हों और उसके बाद, अन्य ग्रेड के व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा:

परंतु कि प्रत्येक पैनल से 'चयन सूची' में शामिल किए जाने वाले अधिकारियों की संख्या, उस चयन सूची वर्ष के लिए भर्ती के उस रीति हेतु उपलब्ध वास्तविक रिक्तियों तक ही सीमित रहेगी:

परंतु यह और कि यदि वरिष्ठता कोटा और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, दोनों माध्यमों के लिए चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो एक अनंतिम चयन सूची तैयार की जाएगी।

7. वरिष्ठता सूची तैयार करना.- (1) सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए, प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को एक वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी ताकि ग्रेड में सेवारत सभी अधिकारियों की परस्पर वरिष्ठता निर्धारित की जा सके और इस वरिष्ठता सूची को प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को अद्यतन किया जाएगा।

(2) विनियम 4, 5 और 6 के अधीन चयन सूची में सम्मिलित पात्र अधिकारियों की परस्पर रैंक उसी क्रम में होगी, जिस क्रम में उन्हें चयन सूची में शामिल किया गया है।

(3) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों जिनकी नियुक्ति 'चयन सूची' से हुई है और सीधे भर्ती से आए व्यक्तियों, जिन्हें नियमित रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती किया गया है, की सापेक्ष वरिष्ठता का निर्धारण, उस अवधि के लिए, जिसके लिए चयन सूची तैयार की गई है, का निर्धारण ग्रेड में नियमित रिक्तियों के कोटे के क्रमावर्ती के अनुसार किया जाएगा। यह कोटा, चयन सूची में शामिल व्यक्तियों की नियुक्ति और सीधी भर्ती के लिए क्रमशः 1:3 के अनुपात में निर्धारित किया गया है।

(4) यदि ग्रेड में यथास्थिति वरिष्ठता या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा या सीधी भर्ती के आधार पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हो तो वरिष्ठता निर्धारित करने के उद्देश्य से, उपर्युक्त प्रत्येक ग्रेड के लिए रिक्तियों के कोटे का क्रमावर्ती केवल उस सीमा तक ही किया जाएगा, जिस सीमा तक किसी भी ग्रेड से व्यक्ति उपलब्ध हों और दूसरे ग्रेड के व्यक्तियों को अंतिम स्लॉट के ठीक नीचे एक साथ रखा जाएगा।

8. वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देना.- (1) विनियम 7 के अनुसार तैयार की गई वरिष्ठता सूची का प्रारूप, यदि कोई आपत्ति हों, तो आमंत्रित करने के लिए रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

(2) प्रारूप वरिष्ठता सूची के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर प्राप्त सभी आपत्तियों का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा और उसके बाद तीस दिनों के भीतर, यदि कोई संशोधन आवश्यक हो, तो उन्हें करने के पश्चात् अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी।

(3) अंतिम वरिष्ठता सूची में तब तक कोई संशोधन नहीं किया जाएगा, जब तक कि किसी सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेश को लागू करना आवश्यक न हो या जब कर्मचारी चयन आयोग से कोई पूरक चयन सूची प्राप्त न हो जाए और ऐसा

संशोधन, ऊपर विस्तृत रूप से बताए गए प्रारूप/अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाएगा, परंतु कि यह न्यायालय या अधिकरण के संबंधित आदेश के साथ किसी भी प्रकार से विरोधाभास उत्पन्न न करे।

[फा. सं. ईआरबी-1/2012/11/2]

वी.एस. दहिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 436(E).— In pursuance of sub-rule (5) of rule 10 and sub-rule (2) of rule 15 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, the President hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service (Preparation of Seniority Quota Panel, Select List and Seniority List for the Assistant Section Officers' Grade) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Eligible Officer" means any officer who is eligible for appointment to the Assistant Section Officers' Grade under rule 10 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, as on the first of July of the year for which the Seniority Quota Panel is prepared;
- (b) "Departmental Promotion Committee" means the Committee constituted under regulation 3;
- (c) "zone of consideration" means the list of eligible officers from which inclusions will be made in the Seniority Quota Panel;
- (d) "Seniority List" means the list of officers working as Assistant Section Officer as on the 1st July of any year and revised in accordance with these regulations.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026 shall have the same meanings as assigned to them in the Rules.

3. Constitution of Departmental Promotion Committee and preparation of Seniority Quota Panel.- (1) The composition of the Departmental Promotion Committee to be constituted to assess the suitability of eligible officers for appointment to the post of Assistant Section Officer under seniority quota and to make suitable recommendations, shall be as follows:-

- (i) Director or Deputy Secretary — Chairman;
- (ii) Two Under Secretaries or Deputy Directors — Members.

(2) The Departmental Promotion Committee shall follow the guidelines or instructions as laid down by the Central Government from time to time.

(3) The strength of officers to be included in the panel for a year shall be determined by the Central Government in the Ministry of Railways, from time to time and, keeping in view the existing regular vacancies, including carried forward, as on the first of July of the year and anticipated regular vacancies upto the thirtieth June of the following year.

(4) The zone of consideration shall be as specified under the Departmental Promotion Committee guidelines and approved by the Central Government in the Ministry of Railways.

(5) Seniority Quota Panel for the Assistant Section Officers' Grade shall be published every year on the first of July of the year in accordance with the strength of panel.

(6) Inclusions in the panel for the year shall be made by taking eligible officers of the Senior Secretariat Assistants' Grade who have rendered not less than ten years' approved service in that Grade and are in the zone of consideration, in the order of their seniority in that grade, subject to the rejection of the unfit, on the recommendations of the Departmental Promotion Committee approved by the competent authority:

Provided that eligibility service shall continue to be five years' of approved service for officials holding the post of Senior Secretariat Assistant on regular basis as on the date of notification of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026.

Provided further that where sufficient number of eligible Senior Secretariat Assistants with ten years' approved service are not available, officials having rendered twenty-one years' approved service from Multi Tasking Staff Grade till Senior Secretariat Assistant's Grade (including a minimum of five years' approved service as Senior Secretariat Assistant) shall also be eligible for inclusion in the Select List for Assistant Section Officers' Grade.

Further provided that the resultant vacancies of Assistant Section Officer arisen from the cadre restructuring of Railway Board Secretariat Service for the recruitment year 2004 and recruitment year 2011 shall be deemed to have been filled up from Senior Secretariat Assistant through seniority.

4. Appointment to Assistant Section Officer Grade.- (1) Appointment to the vacancies of seniority quota in the grade of Assistant Section Officer shall be made by the competent authority in the order in which the names of the officials appear in the panel.

(2) Inclusion in the panel shall not confer any right to appointment to the grade as appointments shall be made only upon the availability of regular vacancies.

5. Removal of names from the panel.- The names of the persons of the following categories shall be removed from the panel:

- (a) persons appointed to Assistant Section Officers' Grade;
- (b) persons transferred to another service or post;
- (c) persons who die or retire from service or whose services are otherwise terminated; and
- (d) (i) persons officiating in the Grade beyond the period of probation specified in Rule 12, who are reverted therefrom as a result of a departmental enquiry or proceedings under the Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, 1968; or
- (ii) persons who, either during or at the end of the period of probation in the Grade prescribed in Rule 12, are reverted therefrom under sub-rule (4) of Rule 14, on the ground of unfitness to continue in the Grade; or
- (iii) persons yet to be appointed to the Grade, who on an annual review of the panel are found, because of deterioration in their record or conduct since inclusion in the panel to have fallen below the required standard.

6. Preparation of the Select List.- Select List or provisional Select List, as the case may be, shall be prepared at the end of the recruitment year by interpolating the names of officers included in the Seniority Quota Panel and Limited Departmental Competitive Examination Panel, in the order in which they appear in the relevant panel, for that select list year, in the ratio of 3:2:

Provided that the rotation of persons from each of the category stated above shall be taken only to the extent of the available persons from any of the stated category and persons from the other category shall, thereafter, be included enbloc:

Provided that number of officers to be included in the Select List from each of the panels will be restricted to the actual vacancies for that mode of recruitment for that Select List year:

Provided further that if selection process has not been completed for both the Seniority Quota and Limited Departmental Competitive Examination modes, a provisional Select List shall be prepared.

7. Preparation of Seniority List. - (1) A Seniority List shall be prepared as on the 1st July every year for Assistant Section Officers' grade of the Service to determine the inter-se seniority of all officers serving in the grade and the Seniority List may be updated every year as on the 1st July of that year.

(2) Eligible Officers included in the Select List under regulations 4, 5 and 6 shall rank inter-se in the order in which they are included in the Select List.

(3) The relative seniority of persons regularly appointed to the Assistant Section Officers' Grade from the Select List and direct recruits recruited against the regular vacancies for the period corresponding to the period for which the Select List has been prepared shall be determined according to the rotation of quota of regular vacancies in the Grade earmarked for the appointment of persons included in the Select List and direct recruitment in the ratio of 1:3, respectively.

(4) If adequate number of persons appointed to the Grade on the basis of seniority or Limited Departmental Competitive Examination or direct recruitment, as the case may be, are not available in the Grade, rotation of quotas of

vacancies for each of the aforesaid category for the purpose of determining seniority shall be taken only to the extent of the available persons from any of the category and the persons from the other category shall be placed *en bloc* below the last slot.

8. Finalisation of Seniority List.- (1) The draft Seniority List as prepared in accordance with regulation 7 shall be posted on the website of Railway Board for inviting objections, if any.

(2) All objections received within thirty days of the publication of draft Seniority List will be decided by the competent authority, and the final seniority list shall be prepared after making revisions, if any, within thirty days thereafter.

(3) Final Seniority List shall not be modified except in case where it is required to implement an order of a competent court or a tribunal or in case when a supplementary selection list is received from the Staff Selection Commission and such modification shall be made following the general principles laid down for preparation of draft/final Seniority List as detailed above provided that it does not come in conflict with the relevant order of the court or tribunal.

[F. No. ERB-I/2012/11/2]

V.S. DAHIYA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 437(अ).— राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 के नियम 10 के उप-नियम (1) और उप-नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड (सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) “सुसंगत तारीख” से उस वर्ष की 1 जुलाई, जिस वर्ष की रिक्तियों के लिए ऐसी परीक्षा आयोजित की जाती है अभिप्रेत है;

(ख) “परीक्षा” से कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड की चयन सूची में नाम जोड़ने के लिए आयोजित सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा अभिप्रेत है;

(ग) “चयन” से सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड के लिए चयन सूची में शामिल किया जाना अभिप्रेत है;

(घ) “आयोग” से कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) “नियमित अधिकारी” से रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के वरिष्ठ सचिवालय सहायकों के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1970 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, उस ग्रेड के लिए चयन सूची में शामिल किया गया है।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।

3. परीक्षा का आयोजन.- (1) इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसरण में आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित परीक्षा की तारीखें, स्थान और रीति ऐसे होंगे जो आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. पात्रता की शर्तें.- रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के 'वरिष्ठ सचिवालय सहायक' ग्रेड का कोई भी अधिकारी, जिसने सुसंगत तारीख को इस ग्रेड में कम से कम छह वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर ली हो, वह इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होगा।

5. पात्रता के संबंध में निर्णय.- (1) आयोग परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में निर्णय करेगा।

(2) कोई भी ऐसा अभ्यर्थी, जिसे उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. परिणाम.- (1) जिन अभ्यर्थियों को आयोग ने आयोजित परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर चयन के लिए उपयुक्त माना है, उनके नामों को योग्यता क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा और आवश्यक रिक्तियों की संख्या तक, उसी क्रम में चयन के लिए अनुशंसित किया जाएगा।

(2) परीक्षा के परिणामों की सूचना अलग-अलग अभ्यर्थियों को किस रूप और रीति से दी जाएगी, यह आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

7. चयन.- (1) लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से ही अभ्यर्थी को चयन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि रेल मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार, ऐसी आवश्यक जांच के पश्चात्, यह सुनिश्चित न कर ले कि सेवा में अभ्यर्थी के आचरण को देखते हुए, वह इस चयन के लिए सभी मामलों में उपयुक्त पाया जाता है।

(2) इस विनियम के उप-विनियम (1) में दिए गए उपबंधों को छोड़कर, किसी भी परीक्षा परिणामों के आधार पर चयन, आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की योग्यता-क्रम में अपेक्षित सीमा तक किया जाएगा; जो आरक्षण नीति के अधीन होगा और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप होगा।

8. कदाचार के लिए शास्ति.- कोई ऐसा अभ्यर्थी, जिसे आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया हो या किया जाता हो,—

(क) किसी भी तरह से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करना; या

(ख) प्रतिरूपण; या

(ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना; या

(घ) जाली दस्तावेज़ या ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना जिनके साथ छेड़छाड़ की गई हो; या

(ङ) गलत या झूठे बयान देना, या ज़रूरी जानकारी छिपाना; या

(च) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित रीति का सहारा लेना; या

(छ) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या

(ज) परीक्षा में दुर्व्यवहार करना; या

(झ) ऐसे कार्य को करने का प्रयास करना या, यथास्थिति, पूर्ववर्ती खंडों में निर्दिष्ट सभी या किसी कार्य को करने में सहयोग करना;

आपराधिक अभियोजन के लिए स्वयं को उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, वह उत्तरदायी होगा-

- (अ) (i) आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित किया जाना; या
- (ii) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या चयन से हमेशा के लिए या आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना; और
- (आ) आयोग की सिफारिश पर, समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए।

[फा. सं. ईआरबी-1/2012/11/2]

वी.एस. दहिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 437(E).— In pursuance of sub-rules (1) and (4) of rule 10 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, the President hereby makes the following regulations, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service Assistant Section Officers' Grade (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

- (a) "relevant date" means the first day of July of the year for the vacancies of which such examination is held;
- (b) "examination" means the Limited Departmental Competitive Examination held by the Staff Selection Commission for making additions to the Select List for the Assistant Section Officers' Grade;
- (c) "selection" means inclusion in the Select List for the Assistant Section Officers' Grade;
- (d) "Commission" means the Staff Selection Commission;
- (e) "regular officer" means a person appointed on regular basis in Senior Secretariat Assistants' Grade of Railway Board Secretariat Clerical Service, on being included in the Select List for that Grade, in accordance with the procedure prescribed in Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026 shall have the same meanings as assigned to them in the Rules.

3. Holding of examination.- (1) The examination shall be conducted by the Commission in pursuance of the notification issued in this regard.

(2) The dates, places and the manner for the examination referred to in sub-regulation (1) shall be such as may be determined by the Commission.

4. Conditions of eligibility.- Any officer in Senior Secretariat Assistants' Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service, who, on the relevant date, has rendered not less than six years approved service in the Grade, shall be eligible to appear at the examination.

5. Decision as to eligibility.- (1) The Commission shall decide as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination.

(2) No candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission under sub-regulation (1) above shall be admitted to the examination.

6. Results.- (1) The names of the candidates who have been considered by the Commission to be suitable for selection on the basis of results of examinations held, shall be arranged in the order of merit and be recommended for selection in that order upto the required number of vacancies.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be as determined by the Commission.

7. Selection.- (1) Success in the written examination shall confer no right to the candidate to the selection unless the Central Government in the Ministry of Railways is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is found suitable in all respects for such selection.

(2) Save as provided in sub-regulation (1) of this regulation, the selection on the basis of results of any examination shall be made to the extent required in the order of merit of the candidates recommended by the Commission for selection, subject to the reservation policy and in accordance with the orders issued by the Central Government in this behalf from time to time.

8. Penalty for misconduct.- A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of —

- (a) obtaining support for his candidature by any means; or
- (b) impersonating; or
- (c) procuring impersonation by any person; or
- (d) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (e) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or
- (f) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or
- (g) using unfair means in the examination; or
- (h) misbehaving in the examination; or
- (i) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses;

shall in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable—

- (A) (i) to be disqualified by the Commission from appearing in the said examination; or
- (ii) to be debarred either permanently or for a period so specified by the Commission from any examination or selection held by it; and
- (B) to disciplinary action under the appropriate rules on the recommendation of the Commission.

[F. No. ERB-I/2012/11/2]

V.S. DAHIYA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2026

सा.का.नि. 438(अ).— राष्ट्रपति, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 के नियम 10 के उप-नियम (1) और उप-नियम (4) के अनुसरण में निम्नलिखित विनियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड (सीधी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा) विनियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "उपलब्ध रिक्तियाँ" से सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में ऐसी रिक्तियाँ हैं, जिन्हें खुली प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरा जाना अपेक्षित है, अभिप्रेत है;

(ख) “परीक्षा” से आयोग द्वारा सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधी भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा, अभिप्रेत है;

(ग) “आयोग” से कर्मचारी चयन आयोग अभिप्रेत है;

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा नियम, 2026 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो उन नियमों में हैं।

3. परीक्षा का आयोजन.- (1) परीक्षा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय अधिसूचित रीति से आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी।

(2) परीक्षा जिन तारीखों और स्थानों पर आयोजित की जाएगी, वे आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. पात्रता की शर्तें.- परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होने हेतु, किसी अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा, अर्थात्:—

(क) *राष्ट्रीयता*—

(i) भारत का नागरिक होना चाहिए; या

(ii) ऐसे व्यक्तियों की श्रेणियों से संबंधित होना चाहिए, जो समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया जाए।

(ख) *आयु*—

अभ्यर्थी की आयु 20 वर्ष पूरी होनी चाहिए, और जिस वर्ष परीक्षा आयोजित की जाती है, उस वर्ष की 1 अगस्त को उसकी आयु 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए:

परंतु यदि भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त परीक्षा के माध्यम से की जाती है, जिसके द्वारा अन्य पदों पर भी भर्ती की जाती है, तो आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तारीख वही होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी:

परंतु यह और कि, ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों की श्रेणियों के संबंध में छूट दी जा सकेगी, जिन्हें भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर इस संबंध में अधिसूचित किया जाए; यह छूट प्रत्येक श्रेणियों के लिए अधिसूचित सीमा तक होगी।

(ग) *शैक्षणिक अर्हताएं*— उम्मीदवार

(अ) केन्द्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय से डिग्री हो, या अन्यथा केन्द्रीय सरकार से उसके बराबर कोई मान्यता प्राप्त अर्हता धारित करता हो; और

(आ) आयोग द्वारा अनुमोदित या आयोजित कंप्यूटर संचालन संबंधी दक्षता परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लिया हो:

परंतु कि -

(क) अपवादिक मामलों में, यदि किसी अभ्यर्थी के पास इस खंड में निर्दिष्ट कोई भी अर्हता नहीं है, तो भी आयोग उसे अर्हता प्राप्त मान सकता है, यदि उसने किसी संस्थान द्वारा आयोजित ऐसी परीक्षाएं पास की हैं, जो आयोग की राय में, परीक्षा में उसके प्रवेश को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त मानक के हैं; और

(ख) अभ्यर्थी जो अन्यथा योग्य है, लेकिन विदेशी विश्वविद्यालयों से डिग्रियाँ प्राप्त की हैं, उन्हें भी आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

(घ) शुल्क - भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर अधिसूचित की जाने वाली छूटों या रियायतों, या दोनों के अधीन रहते हुए, अभ्यर्थी आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगा।

5. **पात्रता संबंधी निर्णय.**- परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और किसी अभ्यर्थी को आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

6. **परिणाम.**- (1) जिन अभ्यर्थियों को आयोग परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त मानता है, उनके नाम योग्यता क्रम में व्यवस्थित किए जाएंगे और विनियम 7 के उपविनियम (5) के उपबंधों के अधीन, उन्हें की जाने वाली नियुक्तियों की अपेक्षित संख्या तक नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जाएगा।

(2) परीक्षा के परिणामों की सूचना अलग-अलग अभ्यर्थियों को किस रूप और रीति से दी जाएगी, यह आयोग अपने विवेक से तय करेगा और आयोग परिणामों के संबंध में अलग-अलग अभ्यर्थियों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा;

7. **नियुक्तियाँ.**- (1) परीक्षा में सफल होने मात्र से, सेवा के 'सहायक अनुभाग अधिकारी' ग्रेड में नियुक्ति का कोई अधिकार नहीं होगा; जब तक कि आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी, रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम या आधारभूत पाठ्यक्रम, को सफलतापूर्वक पूरा न कर ले।

(2) परीक्षा में सफल होने मात्र से, सेवा के 'सहायक अनुभाग अधिकारी' ग्रेड में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा; जब तक कि रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार, आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद, इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी अपने चरित्र और पूर्ववृत्त को देखते हुए सार्वजनिक सेवा में नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त है।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा परीक्षण के पश्चात्, किसी भी ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए, जिससे सेवा के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ने की संभावना हो।

(4) कोई भी व्यक्ति, जिसके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हों, या जिसका कोई पति या पत्नी जीवित होते हुए भी वह ऐसी स्थिति में विवाह कर ले जिसमें वह विवाह, उस पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किए जाने के कारण, अमान्य हो; और न ही कोई ऐसा व्यक्ति जिसका विवाह इस कारण अमान्य हो कि विवाह के समय उसके पति या पत्नी का कोई अन्य पति या पत्नी पहले से ही जीवित था, वह इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी भी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु रेल मंत्रालय, केंद्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, तो किसी भी व्यक्ति को इस उपविनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

(5) किसी भी परीक्षा के परिणामों के आधार पर, सेवा के सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियुक्तियाँ उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक, अभ्यर्थी की योग्यता क्रम में की जाएँगी।

(6) सेवा में नियुक्तियाँ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, न्यूनतम मानदंड दिव्यांगता वाले व्यक्तियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए सेवा में विशेष प्रतिनिधित्व के संबंध में, केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन होंगी।

8. कदाचार के लिए शास्ति.- कोई अभ्यर्थी जिसे आयोग द्वारा दोषी घोषित किया गया हो या किया जाता हो -

- (क) किसी भी तरह से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करना; या
- (ख) प्रतिरूपण; या
- (ग) किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना; या
- (घ) जाली दस्तावेज़ या ऐसे दस्तावेज़ प्रस्तुत करना जिसमें तथ्य के साथ छेड़छाड़ की गई हो; या
- (ङ) गलत या झूठे बयान देना, या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना; या
- (च) परीक्षा के लिए अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित या अनुचित साधनों का सहारा लेना; या
- (छ) परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करना; या
- (ज) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना; या
- (झ) ऐसा कार्य करने का प्रयास करना, या, यथास्थिति पूर्ववर्ती उपविनियमों में विनिर्दिष्ट सभी या किसी कार्य को करने में सहयोग करना;

आपराधिक अभियोजन के लिए स्वयं को उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त, वह उत्तरदायी होगा-

- (अ) आयोग द्वारा उक्त परीक्षा में बैठने से निरहं कर दिया जाए; या
- (आ) स्थायी रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए वर्जित किया जाना -
 - (i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से;
 - (ii) केंद्रीय सरकार द्वारा उनके अधीन किसी भी रोज़गार से; और
- (इ) यदि वह पहले से ही केंद्रीय सरकार के अधीन सेवा में है, तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी।

परंतु कि इस विनियम के अधीन कोई भी दंड निम्नलिखित के अतिरिक्त अधिरोपित नहीं किया जाएगा-

- (i) अभ्यर्थी को लिखित में अपनी बात रखने का उचित अवसर देना, जैसा वह उस संबंध में करना चाहता हो; और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा, यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो, तो उसे दी गई अवधि के भीतर उस पर विचार करना।

[फा. सं. ईआरबी-1/2012/11/2]

वी.एस. दहिया, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2026

G.S.R. 438(E).— In pursuance of sub-rules (1) and (4) of rule 10 of the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026, the President hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called the Railway Board Secretariat Service Assistant Section Officers' Grade (Direct Recruit Competitive Examination) Regulations, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "available vacancies" means such vacancies in the Assistant Section Officers' Grade of the Service as are required to be filled on the results of open competitive examination;

(b) "examination" means a competitive examination held by the Commission for direct recruitment to the Assistant Section Officers' Grade of the Service;

(c) "Commission" means the Staff Selection Commission.

(2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Railway Board Secretariat Service Rules, 2026 shall have the same meanings assigned to them in the rules.

3. Holding of examination.- (1) The examination shall be conducted by the Commission in the manner notified from time to time by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

(2) The dates on which and the places at which the examination shall be held shall be fixed by the Commission.

4. Conditions of eligibility.- In order to be eligible to compete at the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(a) *Nationality* –

(i) he must be a citizen of India; or

(ii) he must belong to such categories of persons as may from time to time be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

(b) *Age*—

The candidate must have attained the age of 20 years, and must not have attained the age of 30 years on the 1st day of August of the year in which the examination is held:

Provided that if the recruitment is made by the Staff Selection Commission through a combined examination by which recruitment to other posts is also made, the crucial date for determining the age limit shall be as fixed by the Staff Selection Commission:

Provided further that the upper age limit may be relaxed in respect of such categories of persons as may, from time to time, be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, to the extent notified in respect of each category.

(c) *Educational qualifications.*- The candidate must -

(A) hold a degree of a University established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State Act, or otherwise possess any qualification recognized by the Central Government as equivalent thereto; and

(B) qualify a proficiency test in computer operations approved or conducted by the Commission:

Provided that-

(a) in exceptional cases, a candidate who, though not possessing any of the qualifications specified in this clause, may be treated by the Commission as qualified if he has passed such examinations conducted by any institution as are, in the opinion of the Commission, of a standard sufficient to justify his admission to the examination; and

(b) candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from Foreign Universities may also be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(d) *Fees.*- Subject to such exemptions or concessions or both, as may be notified in this behalf by the Government of India in the Department of Personnel and Training, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions from time to time, the candidate shall pay the fees specified by the Commission.

5. Decision as to eligibility.- The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be admitted to the examination.

6. Results.- (1) The names of the candidates who are considered by the Commission to be suitable for appointment on the results of the examination shall be arranged in the order of merit and subject to the provisions of sub-regulation (5) of Regulation 7, they shall be recommended for appointment up to the number of appointments required to be made.

(2) The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission shall not enter into any correspondence with the individual candidates regarding the results.

7. Appointments.- (1) Success at the examination shall confer no right to appointment to the Assistant Section Officers' Grade of the Service unless the candidate recommended by the Commission successfully completes such of the Training Programme or Foundation Course as the Central Government in the Ministry of Railways may prescribe.

(2) Success at the examination shall confer no right to appointment to the Assistant Section Officers' Grade of the Service unless the Central Government in the Ministry of Railways is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate having regard to his character and antecedents is suitable in all respects for appointment to public service.

(3) No candidate shall be appointed to the Assistant Section Officers' Grade of the Service unless he is, after such Medical examination as the Central Government may prescribe, found to be free from any mental or physical defect which is likely to interfere with the discharge of the duties of the Service.

(4) No person who has more than one spouse living or who, having a spouse living, marries in any case in which such marriage is void by reason of its taking place during the life time of such spouse, and no person whose marriage is void by reason of his or her spouse having already a spouse living at the time of such marriage shall be eligible for any appointment on the results of the examination:

Provided that Central Government in the Ministry of Railways may, if satisfied that there are special grounds for so doing, exempt any person from the operation of this sub-regulation.

(5) Appointments to the Assistant Section Officers' Grade of the Service on the results of any examination shall be made to the extent of the available vacancies, in the order of the merit of the candidates.

(6) Appointments to the Service shall be subject to orders regarding special representation in service for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Persons with Benchmark Disabilities and other special categories of persons, issued by the Central Government from time to time.

8. Penalty for misconduct.- A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of -

- (a) obtaining support for his candidature by any means; or
- (b) impersonating; or
- (c) procuring impersonation by any person; or
- (d) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with; or
- (e) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information; or
- (f) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination; or
- (g) using unfair means in the examination hall; or
- (h) misbehaving in the examination hall; or
- (i) attempting to commit, or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing sub-regulations;

shall in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable -

- (A) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

- (B) to be debarred either permanently or for a specified period-
- (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
- (ii) by the Central Government from any employment under them; and
- (C) if he is already in service under the Central Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this regulation shall be imposed except after -

- (i) giving the candidate a reasonable opportunity of making such representation in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any submitted by the candidate, within a period allowed to him, into consideration.

[F. No. ERB-I/2012/11/2]

V.S. DAHIYA, Jt. Secy.